

प्रेस नोट दिनांक 12-09-2022 थाना मिश्रौलिया सिद्धार्थनगर

थाना मिश्रौलिया पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब बनाने वाले 04 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 45 लीटर अप मिश्रित कच्ची शराब, 700 ग्राम यूरिया, 400 ग्राम नौसादर व कच्ची शराब बनाने के उपकरण बरामद ।

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में "अपराध एवं अपराधियों के रोकथाम एवं कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान" के तहत सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर तथा हरीशचंद्र, क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल पर्यवेक्षण में घनश्याम सिंह थाना प्रभारी मिश्रौलिया के नेतृत्व में आज दिनांक 12-09-2022 को उपनिरीक्षक अनूप कुमार मिश्र द्वारा 45 लीटर अप मिश्रित कच्ची शराब, 700 ग्राम यूरिया, 400 ग्राम नौसादर व कच्ची शराब बनाने के उपकरण 02 अदद एलमुनियम के भदेले के साथ 04 अभियुक्तगण को बहोरवाघाट के बागीचे से समय करीब सुबह 06:35 बजे गिरफ्तार किया गया । जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 173/2022 धारा 272 भा0द0वि0 एवं 60(2) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया ।

बरामदगी का विवरण :

01- 45 लीटर अप मिश्रित कच्ची शराब, 700 ग्राम यूरिया व 400 ग्राम नौसादर ।

02- कच्ची शराब बनाने के उपकरण, 2 अदद एलमुनियम के भदेले ।

अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र स्वर्गीय फागू निषाद का अपराधिक इतिहास

1-मु.अ. सं.719/09 धारा 60आबकारी अधिनियम थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

2-मु.अ. सं.565/10 धारा 60आबकारी अधिनियम थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

3-मु.अ. सं.251/13 धारा 60आबकारी अधिनियम थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

4-मु.अ. सं.595/16 धारा 60आबकारी अधिनियम थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

5-मु.अ. सं.272/21 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

6-मु.अ. सं.108/22 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

7-मु.अ. सं.19/22 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

अभियुक्त दाहू निषाद पुत्र टीमल निषाद का अपराधिक इतिहास

1-मु.अ. सं.720/09 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

2-मु.अ. सं.566/10 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

3-मु.अ. सं.234/12 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

4-मु.अ. सं.285/14 धारा 110 सीआरपीसी थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

अभियुक्त मोल्हू पुत्र स्व. बीपत का अपराधिक इतिहास

1-मु.अ. सं.864/09 धारा 60आबकारी अधिनियम थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

2-मु.अ. सं.774/16 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

अभियुक्त फेरू पुत्र स्वर्गीय फागू का अपराधिक इतिहास

1-मु.अ. सं.19/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण :-

1- उपनिरीक्षक अनूप कुमार मिश्र थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

2- हे.कां.समशेर अहमद खान थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

3- हे. कां.गोवर्धन गुप्ता थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

4- हे. कां.बुद्धेश थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

- 5- हे. कां.उमेश यादव थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 6- कां.सौरभ कुमार सिंह थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट दिनांक 12.09.2022 थाना शिवनगर डिडई जनपद सिद्धार्थनगर
थाना शिवनगर डिडई पुलिस द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के क्रम में सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण व देवी गुलाम क्षेत्राधिकारी बांसी के निर्देशन में आज दिनांक 12-09-2022 को ज्ञानेन्द्र कुमार राय प्रभारी निरीक्षक शिवनगर डिडई के नेतृत्व में डिडई पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त रामकरन पुत्र बदलू ग्राम कड़सरा से संबंधित मु0अ0स0 222/2011 धारा 498 (A) भा0द0वि0 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1.रामकरन पुत्र बदलू निवासी ग्राम कड़सरा थाना शिवनगर डिडई जनपद सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. उ0नि0 कपिल मुनि राय थाना शिवनगर डिडई जनपद सिद्धार्थनगर ।
2. का0 रमेश कुमार थाना शिवनगर डिडई जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट- दिनांक 12-09-2022 थाना डुमरियागंज
थाना डुमरियागंज पुलिस द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के क्रम में सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व राणा महेंद्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के निर्देशन में आज दिनांक-12.09.2022 संजय कुमार मिश्र प्रभारी निरीक्षक डुमरियागंज के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 216/2022 धारा 376(3), 354(घ), 506 भा0द0वि0 व 3/4, 7/8 पोक्सो एक्ट व 67 आई0टी0 एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

01. राहुल पुत्र बीफई / हरिराम ग्राम धनोहरा थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 01 प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार मिश्रा थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
02. कांस्टेबल धीरज प्रजापति थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
03. कांस्टेबल तेज बहादुर यादव थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
04. कांस्टेबल अवध बिहारी सिंह थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट- दिनांक 12.09.2022 थाना चिल्हिया

थाना चिल्हिया पुलिस द्वारा गैंगस्टर अधिनियम से सम्बंधित 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

अमित कुमार आनंद पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के क्रम में, सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व जयराम क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के निर्देशन में आज दिनांक 12.09.2022 को दीपक कुमार थानाध्यक्ष चिल्हिया के नेतृत्व में मु0अ0स0 37/2022 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम से संबंधित 02 नफर वांछित अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. मोहम्मद कलीम पुत्र स्व0 जसमत साकिन गुजरौलिया थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।
2. मुकद्दर पुत्र स्वर्गीय लड्डन साकिन गुजरौलिया थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

- 1 दीपक कुमार थानाध्यक्ष चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर।
- 2 उ0 नि0 उपेंद्र सिंह थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर।
- 3 कांस्टेबल मनोज कनौजिया थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर।
- 4 कांस्टेबल जितेंद्र यादव थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक: 12.09.2022 थाना सिद्धार्थनगर

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय/जेल भेजा गया।

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण तथा श्री अखिलेश कुमार वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में आज दिनांक 12-10-2022 को तहसीलदार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर के कुशल नेतृत्व में उपनिरीक्षक श्री सुरेंद्र कुमार सिंह व का. शैलेंद्र यादव द्वारा मुखवीरी सूचना के आधार पर लंबे समय से फरार चल रहे फौजदारी वाद संख्या 876/13 धारा 279 304A भादवि0 से संबंधित वांछित वारण्टी अभियुक्त नौशाद पुत्र आशिक अली निवासी रमजान नगर थाना व जनपद सिद्धार्थनगर को उसके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 12.09.2022

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस लाइन्स स्थित जीर्णोद्धार कराये जा रहे चिल्ड्रेन पार्क का किया गया निरीक्षण।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा आज दिनांक 12-09-2022 को पुलिस लाइन्स परिसर स्थित चिल्ड्रेन पार्क का निरीक्षण किया गया। गौरतलब है कि महोदय के आदेशानुसार पुलिस लाइन्स में पुलिस परिवार के बच्चों के लिये बनाये गये चिल्ड्रेन पार्क के जीर्णोद्धार का कार्य प्रतिसार निरीक्षक सिद्धार्थनगर की देख-रेख में किया जा रहा था। पार्क में बच्चों के लुभाने वाले झूले लगाये जाने के साथ मौजूद अन्य झुलों व बैठने हेतु कुर्सियों के मरम्मत व रंग-रोगन तथा पार्क परिसर की साफ-सफाई का कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त दीवारों का रंग-रोगन किये जाने के साथ आकर्षक पेंटिंग भी की गई है। महोदय द्वारा सम्बन्धित को पार्क की नियमित साफ-सफाई व देख-रेख हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिया गया।

प्रेस नोट दिनांक 12.09.2022 जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ आदि स्थानों पर नव युवकों, महिलाओं और लड़कियों को महिला सुरक्षा व मिशन शक्ति के संबंध में जानकारी दी गई तथा मनचलों एवं शोहदों पर कार्यवाही हेतु चेकिंग की गयी।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में मनचलों एवं रोमियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 12.09.2022 को शक्ति मोबाइल/प्रभारी एण्टी रोमियो महिला उ0नि0 पूनम मौर्या द्वारा एण्टी रोमियो कार्यवाही के अन्तर्गत थाना सिद्धार्थ नगर थानाक्षेत्र में स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा थानाक्षेत्र के आस-पास के मुख्य सड़को, चौराहों रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की गयी।

एण्टी रोमियों टीम का विवरण-

01-महिला उ0नि0 श्रीमती पूनम मौर्या प्रभारी एण्टी रोमियो जनपद सिद्धार्थनगर।

02-आरक्षी राकेश यादव एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 12-09-2022 थाना शोहरतगढ़

थाना शोहरतगढ़ पुलिस द्वारा 03 नफर अभियुक्त को 01 कि0ग्रा0 गाँजा, 01 अदद कट्टा (12 बोर), 02 अदद जिन्दा कारतूस (12 बोर) व 1900/रु0 नगद के साथ किया गया गिरफ्तार।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व जयराम क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 12.09.2022 को प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में उ0नि0 बलिराम सिंह मय टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना शोहरतगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 279/22 धारा 457/380 भा0द0वि0 तथा मु0अ0सं0 289/22 धारा 380 भा0द0वि0 व थाना चिल्हिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 100/22 धारा 457/380/427 भा0द0वि से सम्बन्धित 03 व्यक्तियों को खूनूवा तिराहा, थाना शोहरतगढ़ के पास से सुबह 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के पास से 01 कि0ग्रा0 गाँजा, 01 अदद कट्टा, 02 अदद जिन्दा कारतूस व 1900 रु0 नगद बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय/जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. इन्द्र कपूर पुत्र बलिराम नि0 नीबी दोहनी थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।
2. मोनू पुत्र नरसिंह नि0 गड़ाकुल (धोबीन घटवा) थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।
3. शाहिद पुत्र वाहिद नि0 धुनिया मोहल्ला थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 कि०ग्रा० गाँजा
2. 01 अदद कट्टा (12 बोर)
3. 02 अदद कारतूस (12 बोर)
4. 1990/रु० नगद

01-अभियुक्त इन्द्र कपूर पुत्र बलिराम आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 14/22 धारा 380/411/413/457 भादवि० थाना शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर ।
2. मु०अ०सं० 16/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर ।
3. मु०अ०सं० 45/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर ।
4. मु०अ०सं० 259/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर ।
5. मु०अ०सं० 297/21 धारा 380/411/413/457 भादवि० थाना शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर ।
6. मु०अ०सं० 1551/17 धारा 380/411/457 भादवि० थाना शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर ।
7. मु०अ०सं० 291/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर ।

02-अभियुक्त मोनू पुत्र नरसिंह का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 140/19 धारा 323/325/504/506 भादवि० थाना शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर ।
2. मु०अ०सं० 153/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर ।
3. मु०अ०सं० 292/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर ।

अपराध करने का तरीका -

अभियुक्तगण द्वारा सर्व प्रथम खुले/बन्द मकान या दुकान या विद्यालय आदि की प्राइवेट/सवारी गाड़ी/पैदल घूम घूम कर रेकी की जाती है उसके बाद ताला/संध काटकर चोरी किया जाता है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ०नि० बलिराम सिंह थाना शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर ।
2. उ०नि० रमाकान्त यादव थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।
3. का० अभिषेक यादव थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।
4. का० पंकज कुमार थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।
5. का० आदित्य यादव थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।
6. का० अशोक पासवान थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।
7. का० शैलेश कुमार शर्मा थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट दिनांक 12.09.2022 थाना इटवा

थाना इटवा पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय/जेल भेजा गया ।

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के क्रम में सुरेश चन्द रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व हरिचन्द्र क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 12.09.2022 को बिंदेश्वरी मणि त्रिपाठी, प्रभारी निरीक्षक इटवा के नेतृत्व में मय टीम द्वारा मु0अ0स0 100/22 धारा 376,506 भा0द0वि0 में 01 नफर वांछित अभियुक्त इरशाद पुत्र मोहम्मद इस्लाम को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय/जेल भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- इरशाद पुत्र मोहम्मद इस्लाम साकिन परसिया थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01- बिंदेश्वरी मणि त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक इटवा जनपद सिद्धार्थनगर ।

02 .कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर ।

03. कांस्टेबल दुर्गेश कुमार थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट दिनांक 12-09-2022 जनपद सिद्धार्थनगर

वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में मा0 न्यायालय के दिये गये निर्णय के दृष्टिगत सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस के समस्त थानों द्वारा अपने-अपने थानाक्षेत्रों में सतर्क दृष्टि बनाये रखते हुये लगातार पैदल गश्त की जा रही है ।

आज दिनांक 12.09.2022 को वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में माननीय न्यायालय के दिये गये निर्णय के दृष्टिगत अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेशानुसार सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपद के समस्त थानों द्वारा अपने-अपने थानाक्षेत्र के संवेदनशील स्थानों पर दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ पैदल गश्त की जा रही है । जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी/उपजिलाधिकारीगण द्वारा सर्किल मुख्यालय के थानों पर भारी पुलिस बल के साथ लगातार पैदल गश्त कर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है ।